बिहार सरकार

सामान्य प्रशासन विभाग

—:: संकल्प ::—

विषय:—दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के अन्तर्गत राज्याधीन सेवाओं की नियुक्ति एवं उच्च शैक्षणिक संस्थानों के नामांकन में बहु—दिव्यांगता को सिमलित करने तथा दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के प्रावधानों को केन्द्रीय दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के अनुरूप करने के संबंध में।

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के अर्द्ध सरकारी पत्र दिनांक—27.04.2017 द्वारा पूर्व में निर्गत सभी अनुदेशों को समेकित करते हुए दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के अधीन लाने और प्रक्रियात्मक मसलों सिहत कुछ मुद्दों को स्पष्ट करने की दृष्टि से एक समेकित अनुदेश निर्गत किया गया है, इसके आलोक में सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के संकल्प संख्या—13062 दिनांक—12.10.2017 द्वारा राज्याधीन सेवाओं की नियुक्ति में तथा संकल्प संख्या—7162 दिनांक—31.05.2018 द्वारा शैक्षणिक संस्थानों में नामांकन के लिए विस्तृत संकल्प निर्गत किया गया है। इस संकल्प के द्वारा राज्याधीन सेवाओं की नियुक्ति तथा शैक्षणिक संस्थानों में नामांकन में दिव्यांगजनों को 3 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण के स्थान पर क्रमशः 4 प्रतिशत एवं 5 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण अनुमान्य कराया गया है।

इन संकल्प में किये गए कतिपय प्रावधान भारत सरकार के दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 में किये गए प्रावधान के समरूप नहीं होने के कारण इन संकल्प को परिमार्जित करने की आवश्यकता है।

- 2. अतः राज्य सरकार द्वारा राज्याधीन सेवाओं की नियुक्ति तथा उच्च शैक्षणिक संस्थानों में नामांकन में दिव्यांगजनों को क्रमशः 4 प्रतिशत तथा 5 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण अनुमान्य कराते हुए पूर्व के निर्गत सभी निदेशों को एकीकृत कर एक समेकित निदेश निर्गत किया जा रहा है, जिसके अन्तर्गत निम्नांकित तथ्यों के समावेशन का निर्णय लिया गया है :--
- (1) दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा—34 के तहत राज्य सरकार के सभी विभागों / कार्यालयों / राजकीय लोक उपक्रमों / निगमों / निकायों / बोर्डों के सभी प्रकार के पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों के नियोजन में दिव्यांगों के लिए 4 प्रतिशत आरक्षण तथा दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा—32 के तहत् सभी सरकारी शैक्षणिक संस्थानों में ऐसे सभी शैक्षणिक संस्थान, जिन्हें राज्य सरकार से सहायता प्राप्त होती है, के अन्तर्गत नामांकन में दिव्यांग अभ्यर्थियों को 5 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण का प्रावधान किया जायेगा। यह आरक्षण अलग से नहीं अपितु चयनित दिव्यांग जिस श्रेणी से संबंधित होंगे, उनका सामंजन उसी श्रेणी के विरुद्ध किया जायेगा। अर्थात आरक्षित वर्ग (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अत्यन्त पिछड़ा वर्ग एवं पिछड़ा वर्ग) के दिव्यांग संगत आरक्षित वर्ग से और गैर आरक्षित वर्ग के दिव्यांग अभ्यर्थी गैर आरक्षित वर्ग के विरुद्ध सामंजित किये जायेंगे।
- (2) गुणागुण (मेरिट) के आधार पर दिव्यांगों की गणना गैर आरक्षित वर्ग के अन्तर्गत की जायेगी, बशर्ते उन्होंने आरक्षण संबंधित कोई छूट यथा आयू सीमा, अर्हतांक, कम्प्यूटर सक्षमता इत्यादि का लाभ प्राप्त नहीं किया हों।

- (3) दिव्यांगों के लिए आरक्षण का प्रावधान यद्यपि कंडिका—2 (1) में उल्लिखित सेवाओं एवं संगठनों के सभी प्रकार के पदों एवं सेवाओं में किया गया है, फिर भी यदि उसमें दिव्यांगों के लिए आरक्षण उपयुक्त नहीं समझा जाता हो, तो संबंधित नियुक्ति पदाधिकारी द्वारा इसे दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा—20(1) के परन्तुक के आलोक में इसे दिव्यांगता आरक्षण से स्थायी रूप से मुक्त रखने संबंधी प्रस्ताव सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को प्रेषित कर सकते हैं। प्रशासी विभाग से प्राप्त प्रस्ताव को इस उद्देश्य हेतु गठित निम्न समिति के समक्ष रखा जायेगा:—
 - (क) मुख्य सचिव
 - (ख) अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग
 - (ग) अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव, समाज कल्याण विभाग
 - (घ) प्रधान सचिव / सचिव, स्वास्थ्य विभाग
 - (इ) संबंधित विभाग के प्रधान सचिव / सचिव / विभागाध्यक्ष
 - (च) निःशक्तता आयुक्त

समिति की अनुशंसा के उपरान्त राज्य सरकार के अनुमोदनोपरान्त उक्त पदों को दिव्यांगता आरक्षण से स्थायी रूप से विमुक्त समझा जायेगा।

- (4) दिव्यांगता की परिभाषाएं -
- (i) गतिविषयक् दिव्यांगता (सुनिश्चित गतिविधियों को करने में किसी व्यक्ति की असमर्थता जो स्वयं और वस्तुओं की गतिशीलता से सहबद्ध है जिसका परिणाम पेशीकंकाल और तंत्रिका प्रणाली या दोनों में पीड़ा है), जिसके अन्तर्गत —
- (क) "कुष्ठ रोगमुक्त व्यक्ति" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है, जो कुष्ठ से रोगमुक्त हो गया है, किन्तु निम्नलिखित से पीड़ित है :-
- (1) हाथ या पैरों में सुग्राहीकरण का हास के साथ—साथ आंख और पलक में सुग्राहीकरण का हास और आंशिक घात किंतु व्यक्त विरूपता नहीं है;
- (2) व्यक्त विरूपता और आंशिक घात किंतु उसके हाथों और पैरों में पर्याप्त गतिशीलता है, जिससे वह सामान्य व्यावसायिक क्रियाकलापों में लगे रहने के लिए सक्षम है;
- (3) अत्यन्त शारीरिक विरूपता के साथ—साथ वृद्ध जो उसे लाभप्रद व्यवसाय करने से निवारित करती है और "कुष्ठ रोगमुक्त व्यक्ति" पद का तद्नुसार अर्थ लगाया जाएगा;
- (ख) "प्रमस्तिष्क घात" से कोई गैर-प्रगामी तिन्त्रका स्थिति का समूह अभिप्रेत है, जो शरीर के संचलन को और पेशियों के समन्वयन को प्रभावित करती है, जो मस्तिष्क के एक या अधिक विनिर्दिष्ट क्षेत्रों में क्षिति के कारण उत्पन्न होता है, जो साधारणतः जन्म से पूर्व, जन्म के दौरान या जन्म के तुरंत पश्चात् होता है;
- (ग) ''बौनापन'' से कोई चिकित्सय या आनुवंशिक दशा अभिप्रेत है, जिसके परिणामस्वरूप किसी वयस्क व्यक्ति की लंबाई चार फीट दस इंच (147 से०मी०) या उससे कम रह जाती है;
- (घ) "पेशीयदुष्पोषण" से वंशानुगत, आनुवंशिक पेशी रोग का समूह अभिप्रेत है, जो मानव शरीर को संचलित करने वाली पेशियों को कमजोर कर देता है और बहुदुष्पोषण के रोगी व्यक्तियों के जीन में वह सूचना अशुद्ध होती है या नहीं होती है, जो उन्हें उस प्रोटीन को बनाने से निवारित करती है, जिसकी उन्हें स्वस्थ पेशियों के लिए आवश्यकता होती है, इसकी विशेषता प्रगामी कंकाल पेशी की कमजोरी, पेशी प्रोटीनों में त्रुटि और पेशी कोशिकाओं और टिशुओं की मृत्यु है;

- (ड़) ''तेजाबी आक्रमण पीड़ित'' से तेजाब या समान संक्षारित पदार्थ को फेंककर किए गए हिंसक हमले के कारण विद्रूपित कोई व्यक्ति अभिप्रेत है;
- (ii) दृष्टिगत हास -
- (क) ''अंधता'' से ऐसी दशा अभिप्रेत है, जिसमें सर्वोत्तम सुधार के पश्चात् व्यक्ति में निम्नलिखित स्थितियों में से कोई एक स्थिति विद्यमान होती है, —
 - (1) दृष्टि का पूर्णतया अभाव; या
- (2) सर्वाधिक संभव सुधार के साथ बेहतर आंख में दृष्टि सुतीक्षणता 3/60 से कम या 10/200 (स्नेलन) से कम, या
 - (3) 10 डिग्री से कम के किसी कोण पर कक्षांतरित दृश्य क्षेत्र की परिसीमा:
- (ख) "निम्न दृष्टि" से ऐसी स्थिति अभिप्रेत है, जिसमें व्यक्ति की निम्नलिखित में से कोई एक स्थिति होती है, अर्थात:-
- (1) बेहतर आंख में सर्वाधिक संभव सुधार के साथ 6/18 से अनधिक या 20/60 से कम से 3/60 तक या 10/200 (स्नेलन) तक दृश्य सुतीक्षणता; या
 - (2) 40 डिग्री से कम से 10 डिग्री तक की कक्षांतरित दृष्टि की क्षेत्र परिसीमा;
- (iii) "श्रवण शक्ति का ह्रास" -
- (क) ''बिधर'' से दोनों कानों में संवाद आवृत्तियों में 70 डेसिबिल श्रव्य हास वाले व्यक्ति अभिप्रेत है;
- (ख) ''ऊंचा सुनने वाला व्यक्ति'' से दोनों कानों से संवाद आवृत्तियों में 60 डेसिबिल से 70 डेसिबिल श्रव्य हास वाला व्यक्ति अभिप्रेत है;
- (iv) ''वाक् और भाषा दिव्यांगता'' से लेराइनजेक्टोमी या अफेलिया जैसी स्थितियों से उद्भूत स्थायी दिव्यांगता अभिप्रेत है जो कार्बनिक या तंत्रिका संबंधी कारणों के कारण वाक् और भाषा के एक या अधिक संघटकों को प्रभावित करती है
- (v) ''बौद्धिक दिव्यांगता'' से ऐसी स्थिति, जिसकी विशेषता बौद्धिक कार्य (तार्किक, शिक्षण, समस्या, समाधान) और अनुकूलित व्यवहार, दोनों में महत्वपूर्ण कमी होना है, जिसके अन्तर्गत दैनिक सामाजिक और व्यवहार्य कौशलों की रेंज है, जिसके अन्तर्गत —
- (क) "विनिर्दिष्ट विद्या दिव्यांगताओं" से स्थितियों का एक ऐसा विजातीय समूह अभिप्रेत है, जिसमें भाषा को बोलने या लिखने की प्रक्रिया द्वारा आलेखन करने की कमी विद्यमान होती है, जो समझने, बोलने, पढ़ने, लिखने, अर्थ निकालने या गणितीय गणना करने में कमी के रूप में सामने आती है और इसके अन्तर्गत बोधक दिव्यांगता डायसेलेक्सिया, डायसग्राफिया, डायसकेलकुलिया, डायसप्रेसिया और विकासात्मक अफेसिया जैसी स्थितियां भी हैं;
- (ख) "स्वपरायणता स्पैक्ट्रस विकार" से एक ऐसी तंत्रिका विकास की स्थिति अभिप्रेत है, जो विशिष्टतः जीवन के पहले तीन वर्ष में उत्पन्न होती है, जो व्यक्ति की सम्पर्क करने की, संबंधों को समझने की और दूसरों से संबंधित होने की क्षमता को अत्यधिक प्रभावित करती है और आमतौर पर यह अप्रायिक या घिसे—पिटे कर्मकांडों या व्यवहार से सहबद्ध होता है।

(vi) मानसिक व्यवहार, –

"मानसिक रूग्णता" से चिंतन, मनोदशा, बोध, अभिसंस्करण या रमरणशिक्त का अत्यधिक विकार अभिप्रेत है, जो जीवन की साधारण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए समग्र रूप से निर्णय, व्यवहार, वास्तविकता की पहचान करने की क्षमता या योग्यता को प्रभावित करता है, किन्तु जिसके अन्तर्गत मानसिक मंदता नहीं है, जो किसी व्यक्ति का मिस्तिष्क का विकास रूकने या अपूर्ण होने की स्थिति है, विशेषकर जिसकी विशिष्टता बुद्धिमता का सामान्य से कम होना है।

- (vii) निम्नलिखित के कारण दिव्यांगता, -
 - (क) चिरकारी तंत्रिका दशाएं, जैसे –
- (1) "बहु—स्केलेरोसिक" से प्रवाहक, तंत्रिका प्रणाली रोग अभिप्रेत है, जिसमें मस्तिष्क की तंत्रिक कोशिकाओं के अक्ष तंतुओं के चारों ओर रीढ़ की हड्डी की मायलिन सीथ क्षतिग्रस्त हो जाती है जिससे डिमायीलिनेशन होता है और मस्तिष्क में तंत्रिका कोशिकाओं और रीढ़ की हड्डी की कोशिकाओं की एक—दूसरे के साथ सम्पर्क करने की क्षमता प्रभावित होती है;
- (2) "पार्किसन रोग" से कोई तंत्रिका प्रणाली का प्रगामी रोग अभिप्रेत है, जो कम्प, पेशी कठोरता और धीमा, कठिन संचलन द्वारा चिन्हाकिंत होता है जो मुख्यतया मस्तिष्क के आधारीय गंडिका के अद्यपतन तथा तंत्रिका संचलन डोपामई के हास से संबद्ध मध्य आयु और वृद्ध व्यक्तियों को प्रभावित करता है;
 - (ख) रक्त विकृति -
- (1) "हेमोफीलिया" से एक आनुवंशिक रोग अभिप्रेत है जो प्रायः पुरूषों को ही प्रभावित करता है किन्तु इसे महिला द्वारा अपने नर बालकों को संचारित किया जाता है, इसकी विशेषता रक्त के थक्का जमने की साधारण क्षमता का नुकसान होना है, जिससे छोटे से घाव का परिणाम भी घातक रक्तस्राव हो सकता है;
- (2) ''थेलेसीमिया'' से वंशानुगत विकृतियों का एक समूह अभिप्रेत है, जिसकी विशेषता हिमोग्लोबिन की कमी या अभाव है;
- (3) "सिक्कल कोशिका रोग" से होमोलेटिक विकृति अभिप्रेत है, जो रक्त की अत्यन्त कमी, पीड़ादायक घटनाओं और जो सहबद्घ टिशुओं और अंगों को नुकसान से विभिन्न जटिलताओं में परिलक्षित होता है, "हेमोलेटिक" लाल रक्त कोशिकाओं की कोशिका झिल्ली के नुकसान को निर्दिष्ट करता है जिसका परिणाम हिमोग्लोबिन का निकलना होता है। (viii) बहुदिव्यांगता (उपर्युक्त एक या एक से अधिक विनिर्दिष्ट दिव्यांगताएं) जिसके अन्तर्गत बिधरता, अंधता, जिससे कोई ऐसी दशा जिसमें किसी व्यक्ति के श्रव्य और दृश्य के सम्मिलित हास के कारण गंभीर संप्रेषण, विकास और शिक्षण संबंधी गंभीर दशाएं अभिप्रेत है।
- (ix) कोई अन्य प्रवर्ग जो भारत सरकार द्वारा अधिसूचित किये जाएं।
- (5) आरक्षण के लिए दिव्यांगता की मात्रा कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, भारत सरकार के ओ॰एम॰ संख्या—36035/3/2004— Estt(Res) दिनांक—29.12. 2005 के आलोक में केवल ऐसे व्यक्ति सेवाओं/पदों में आरक्षण के लिए पात्र होंगे, जो कम से कम 40 प्रतिशत संगत दिव्यांगता से ग्रस्त हों। जो व्यक्ति आरक्षण का लाभ उठाना चाहते हों, उन्हें सक्षम प्राधिकार द्वारा जारी किया गया दिव्यांगता प्रमाण—पत्र प्रस्तुत करना होगा।

- (6) दिव्यांगता प्रमाण-पत्र जारी करने के लिए सक्षम प्राधिकार दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा-57 के आलोक में दिव्यांगता प्रमाण-पत्र जारी करने के लिए केन्द्र सरकार अथवा राज्य सरकार द्वारा विधिवत् रूप से गठित मेडिकल बोर्ड, सक्षम प्राधिकार होगा। केन्द्र / राज्य सरकार मेडिकल बोर्ड का गठन कर सकती है, जिसमें कम से कम तीन सदस्य होंगे। इन सदस्यों में कम से कम एक सदस्य, जैसा भी मामला हो, का मूल्याकन करने के लिए क्षेत्र विशेष का विशेषज्ञ होना चाहिए।
- (7) दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा—58 के आलोक में मेडिकल बोर्ड समुचित जाँच पड़ताल के पश्चात् स्थायी दिव्यांगता के ऐसे मामलों में स्थायी दिव्यांगता प्रमाण—पत्र जारी करे, जहाँ दिव्यांगता की मात्रा में परिवर्तन होने की कोई गुंजाइश न हो। मेडिकल बोर्ड ऐसे मामलों में प्रमाण—पत्र की वैधता की अवधि इंगित करे, जिनमें दिव्यांगता की मात्रा में परिवर्तन होने की गुंजाइश हो। दिव्यांगता प्रमाण—पत्र के जारी किये जाने से तबतक इन्कार नहीं किया जायेगा, जबतक आवेदक को उसका पक्ष सुनने का अवसर न दे दिया जाय। आवेदक द्वारा अभ्यावेदन देने के पश्चात् मेडिकल बोर्ड मामले के सभी तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए अपने निर्णय की समीक्षा कर सकता है और इस मामले में अपने विवेकानुसार आदेश दे सकता है।
- (8) तत्कालीन कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग सम्प्रति सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना द्वारा प्रावधानित आदर्श रोस्टर के आलोक में उक्त दिव्यांगों को निम्नांकित श्रृंखला के अन्तर्गत आरक्षण देय होगा :—

(ক)	अंध और निम्न दृष्टि;	रोस्टर बिन्दु01 से 25 तक = 01 पद।
(ख)	बधिर और श्रवण शक्ति में हास;	रोस्टर बिन्दु-26 से 50 तक = 01 पद।
(ग)	चलंत दिव्यांगता जिसके अंतर्गत प्रमस्तिष्क घात, रोगमुक्त कुष्ठ, बौनापन, तेजाब आक्रमण के पीड़ित और पेशीय दुष्पोषण भी है;	रोस्टर बिन्दु—51 से 75 तक = 01 पद।
(ঘ)	स्वपरायणता, बौद्धिक दिव्यांगता, विशिष्ट अधिगम दिव्यांगता और मानसिक रूग्णता;	
(ভ.)	प्रत्येक दिव्यांगता के लिए पहचान किए गए पदों में खंड (क) से खंड (घ) के अधीन व्यक्तियों में से बहुदिव्यांगता जिसके अंतर्गत बधिर, अंधता भी हैं:	रोस्टर बिन्दु-76 से 100 तक = 01 पद।

यदि किसी समव्यहार में रोस्टर बिन्दु—13 तक व्यवहृत हो रहा हो तथा उसके विरूद्ध आरक्षण के आधार पर अंध और निम्न दृष्टि से ग्रिसत एक उम्मीदवार चयनित हो जाता है, तो अगले रोस्टर बिन्दु—25 तक किसी अन्य अंध और निम्न दृष्टि उम्मीदवार हेतु आरक्षण देय नहीं होगा। इसी क्रम में रोस्टर बिन्दु—38, 63 एवं 88 तक क्रमशः शेष प्रवर्ग यथा—(ख), (ग), (घ) एवं (इ) के उम्मीदवार चयनित हो जाते हैं, तो क्रमशः रोस्टर बिन्दु—50, 75 एवं 100 तक अन्य दिव्यांग उम्मीदवार हेतु आरक्षण देय नहीं होगा।

चयनित दिव्यांग अभ्यर्थी का समायोजन उस समव्यवहार में उससे संबंधित प्रयुक्त होने वाले अंतिम रोस्टर बिन्दु के विरुद्ध किया जायेगा।

(9) दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा—34 (2) के आलोक में जहां कोई रिक्ति किसी भर्ती वर्ष में उपयुक्त संदर्भित दिव्यांगजन की गैर—उपलब्धता के कारण या कोई अन्य पर्याप्त कारण से भरी नहीं जा सकेगी ऐसी रिक्ति गैर आरक्षित वर्ग में कर्णांकित करते हुए पश्चात्वर्ती भर्ती वर्ष में अग्रणित होगी और पश्चात्वर्ती भर्ती वर्ष में भी उपयुक्त संदर्भित दिव्यांगजन उपलब्ध नहीं होता है, तो पहले यह पांच प्रवर्गों में से अदला—बदली द्वारा हो सकेगी और केवल जब उक्त वर्ष में भी पद के लिए दिव्यांगजन उपलब्ध नहीं होता है, तो नियोक्ता किसी दिव्यांगजन से भिन्न किसी व्यक्ति की नियुक्ति द्वारा रिक्ति को भर सकेगा:

परंतु यदि किसी स्थापन में रिक्तियों की प्रकृति ऐसी है कि दिए गए प्रवर्गों के व्यक्तियों को नियोजित नहीं किया जा सकता तो रिक्तियों की समुचित सरकार के पूर्व अनुमोदन से पांच प्रवर्गों में अदला—बदली की जा सकेगी।

- (10) दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा—32 में निहित प्रावधानों के अनुरूप यह निदेश दिया जाता है कि राज्य सरकार के अधीन उच्च शैक्षणिक संस्थानों में तथा ऐसे सभी उच्च शैक्षणिक संस्थानों में जिन्हें राज्य सरकार से सहायता मिली हो, नामांकन में दिव्यांगों के लिए 5 प्रतिशत स्थान आरक्षित रहेंगे। यह आरक्षण भी दिव्यांगता आधारित होगा, जातिगत आधारित नहीं होगा। नामांकन हेतु चयनित दिव्यांग उम्मीदवार जिस आरक्षित / गैर आरक्षित वर्ग का होगा, उसकी गणना उसी आरक्षित / गैर आरक्षित वर्ग के विरुद्ध होगी। उच्च शैक्षणिक संस्थानों में नामांकन हेतु दिव्यांग किसे कहा जायेगा तथा विभिन्न प्रकार के दिव्यांगों के लिए आरक्षण की क्या व्यवस्था होगी, इस संबंध में भारत सरकार द्वारा निर्गत दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के प्रावधानों का अनुपालन किया जायेगा।
- (11) दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा—20 के आलोक में कोई भी सरकारी स्थापन नियोजन से संबंधित किसी मामले में किसी दिव्यांगजन के विरुद्ध विभेद नहीं करेगा:

परन्तु समुचित सरकार किसी स्थापन में किये जाने वाले कार्यों के प्रकार को ध्यान में रखते हुए अधिसूचना द्वारा और ऐसे निबंधनों के अधीन रहते हुए यदि कोई हों, इस धारा के उपबंधों से किसी स्थापन को छूट प्रदान कर सकेगी।

(2) कोई सरकारी स्थापन, किसी ऐसे कर्मचारी को, जो अपनी सेवा के दौरान कोई दिव्यांगता ग्रहण करता है, उसे अभिमुक्त या उसके रैंक में कमी नहीं करेगा: परन्तु यदि कोई कर्मचारी, दिव्यांगता ग्रहण करने के पश्चात् उस पद के लिए उपयुक्त नहीं रह जाता है जिसे वह धारित करता है तो उसे समान वेतनमान् और सेवा के फायदों के साथ किसी अन्य पद पर स्थानांतरित किया जायेगा:

परन्तु यह और कि यदि कर्मचारी को किसी अन्य पद पर समायोजित करना सम्भव नहीं है तो वह उपयुक्त पद उपलब्ध होने तक या अधिवर्षिता की आयु प्राप्त होने तक इनमें से जो पूर्ववर्ती हो, किसी अधिसंख्या पद पर रखा जा सकेगा।

(12) आयु सीमा में छूट :— दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा—34 (3) के आलोक में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा निर्धारित एवं समय—समय पर यथा संशोधित अधिकतम आयु सीमा के अतिरिक्त खुले प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर होने वाली नियुक्ति में सभी पदों एवं वर्गों के लिए दिव्यांगता के आधार पर अधिकतम आयु सीमा में 10 वर्षों की छूट रहेगी, जबिक सीमित प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर नियुक्ति की स्थिति में अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्षों की छूट रहेगी।

दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा—32 (2) के आलोक में उच्च शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश के लिए संदर्भित दिव्यांगजनों को ऊपरी आयु सीमा में 5 वर्ष तक शिथिलता दी जायेगी।

(13) श्रुतिलेखक उपलब्ध कराने के संबंध में :— विभिन्न प्रकार की परीक्षाओं में परीक्षा आयोजित करने वाली संस्था द्वारा दृष्टिहीन या कम दृष्टि वाले परीक्षार्थियों को श्रुतिलेखक की व्यवस्था की जायेगी। श्रुतिलेखक की शैक्षणिक योग्यता आयोजित परीक्षा (जिसमें परीक्षार्थी सम्मिलित होने वाला है) से एक स्तर नीचे होगा।

श्रुतिलेखक के पारिश्रमिक का भुगतान प्रति पाली 100/— (एक सौ) रुपये मात्र की दर से परीक्षा आयोजित करने वाली संस्था द्वारा देय होगा।

दृष्टीहीन अथवा कम दृष्टि वाले परीक्षार्थी को संबंधित परीक्षा हेतु निर्धारित समय के साथ—साथ प्रति घण्टा 15 मिनट के दर से न्यूनतम 15 मिनट तथा अधिकतम 45 मिनट का अतिरिक्त समय प्रदान किया जायेगा।

- (14) अर्हतांक में छूट :— सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा निर्धारित एवं समय—समय पर यथा संशोधित अर्हतांक में छूट के अतिरिक्त खुली प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर होने वाली नियुक्ति में सभी पदों एवं वर्गों के लिए दिव्यांगता के आधार पर अर्हतांक अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/महिला अभ्यर्थियों के समतुल्य न्यूनतम 32 प्रतिशत निर्धारित किया जायेगा।
- (15) कम्प्यूटर सक्षमता परीक्षा में उत्तीर्णता संबंधी शत्तों से विमुक्ति :- पूर्णतः दृष्टि दिव्यांग (पूर्ण अंधेपन से ग्रसित) तथा एक हाथ अथवा दोनों से दिव्यांग कर्मियों को कम्प्यूटर सक्षमता जाँच परीक्षा में उत्तीर्णता संबंधी शत्तों से विमुक्ति दी जायेगी।
- (16) परीक्षा शुल्क में छूट :— सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा निर्धारित एवं समय—समय पर यथा संशोधित परीक्षा शुल्क के अतिरिक्त खुले/सीमित प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर होने वाली नियुक्ति में सभी पदों एवं वर्गों के लिए दिव्यांगता के आधार पर परीक्षा शुल्क अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के समतुल्य अर्थात गैर आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित शुल्क का एक चौथाई देय होगा।

- (17) दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा—23 (1) के निहित प्रावधानों के आलोक में प्रत्येक विभाग / कार्यालय / संस्थान आदि द्वारा दिव्यांगजनों के शिकायतों के निवारण हेतु एवं एतद् संबंधी आरक्षण की देख—रेख हेतु शिकायत निवारण पदाधिकारी की नियुक्ति की जायेगी।
- 3. एतद् संबंधी पूर्व निर्गत आदेश/संकल्प/परिपत्र आदि के असंगत अंश (यदि हों) इस हद तक संशोधित समझे जायेंगे। इस संकल्प निर्गत होने के बाद भी इस संकल्प के प्रावधानों से असंगत कोई कार्रवाई जो संकल्प संख्या—13062 दिनांक—12.10.2017 के आलोक में पूर्व में की गई हो, को वैध माना जायेगा। किसी बिन्दु पर विभेद होने की स्थिति में एतद् संबंधी पूर्व निर्गत मूल आदेशों/परिपत्रों आदि का अवलोकन किया जा सकता है। आवश्यकतानुसार सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना से परामर्श भी प्राप्त किया जा सकता है।

यह आदेश तुरंत प्रभावी होगा

आदेश— आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में जन साधारण के सूचनार्थ प्रकाशित किया जाय।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

ह0 ∕ -

(जय शंकर प्रसाद) सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक-11/आ0नी0-I-06/2017 सा0प्र0...9.6.2....पटना-15, दिनांक-22:..01:2021 प्रतिलिपि-अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को राजकीय गजट के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि इस संकल्प की 500 प्रतियाँ इस विभाग को भेजने की कृपा की जाय।

ह0 / – सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक-11/आ0नी0-I-06/2017 सा0प्र0...96.2...पटना-15, दिनांक-...22:.01:2021

प्रतिलिपि—महालेखाकार, बिहार, पटना/सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग, बिहार, पटना/सचिव, बिहार कर्मचारी चयन आयोग, बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, बिहार संयुक्त परीक्षा पर्षद, पटना/सचिव, केन्द्रीय चयन पर्षद (सिपाही भर्ती)/सदस्य सचिव, पिछड़े वर्गों के लिए राज्य आयोग, बिहार, पटना/उप सचिव, राज्यपाल सचिवालय, बिहार, पटना/बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसायटी/सचिव, बिहार विधान सभा सचिवालय, पटना/सचिव, बिहार विधान परिषद् सचिवालय, पटना/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त, सभी विश्वविद्यालय के कुल सचिव एवं सभी जिला पदाधिकारी को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रत्येक विभाग / विभागाध्यक्ष से अनुरोध है कि इस संकल्प की प्रति अपने अधीनस्थ कार्यालयों, स्थानीय निकायों, निगमों, लोक सेवा उपक्रमों एवं पर्षदों को अपने स्तर से उपलब्ध करा दिया जाय।

आई0टी0 मैनेजर, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को विभागीय बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव।

बिहार सरकार सामान्य प्रशासन विभाग

- : संकल्प :-

विषय:- बिहार राज्य की सभी सरकारी सेवाओं / संवर्गों के सभी स्तर के एवं सभी प्रकार के पदों पर सीधी नियुक्तियों में आरक्षित एवं गैर आरक्षित कोटि में महिलाओं के लिए 35 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण उपलब्ध कराने के संबंध में।

राज्य में महिला सशक्तिकरण एवं समाज में महिलाओं की सक्रिय एवं सकारात्मक भूमिका सुनिश्चित करने के उद्देश्य से सरकार के समक्ष बिहार राज्य की सभी सरकारी सेवाओं / संवर्गों के सभी स्तर के एवं सभी प्रकार के पदों पर सीधी नियुक्तियों में आरक्षित एवं गैर आरक्षित कोटि में महिलाओं के लिए 35 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण उपलब्ध कराने का मामला विचाराधीन था।

वर्त्तमान में बिहार पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिए) अधिनियम, 1991 (अधिनियम–3, 1992) (समय–समय पर यथा संशोधित), के प्रावधानों के अनुसार राज्याधीन सेवाओं में नियुक्ति की कार्रवाई की जाती है। इस आरक्षण अधिनियम के प्रावधानों को अक्षुण्ण रखा जायेगा।

उक्त अधिनियम के प्रावधानानुसार राज्याधीन सेवाओं में 3 प्रतिशत पद पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। अतः इस 3 प्रतिशत आरक्षण को अक्षुण्ण रखते हुए आरक्षित एवं गैर—आरक्षित वर्गों के शेष 97 प्रतिशत पदों के विरुद्ध 35 प्रतिशत पदों को महिलाओं के लिए निम्न प्रकार से आरक्षित किये जाने का प्रस्ताव है:—

क्र0	वर्त्तमान प्राव	वधान	35 प्रतिशत पद महिलाओं आरक्षित करने पर प्रा	•	अभ्युक्ति
	आारक्षण कोटि	आरक्षण का प्रतिशत	कोटिवार महिलाओं का प्रतिशत	अनुमान्य प्रतिशत	
1	अनु0 जाति	16%	16% का 35% = 5.60%	5.60%	
2	अनु० जन जाति	1%	1% কা 35% = 0.35%	0.35%	
3	अत्यंत पिछड़ा वर्ग	18%	18% का 35%=6.30%	6.30%	
4	पिछड़ा वर्ग	12%	12% কা 35% =4.20%	4.20%	
5.	सामान्थ (गैर–आरक्षित)	50%	50% का 35%=17.50%	17.50%	3 प्रतिशत पद, जो पूर्व से पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए आरक्षित है, उपर्युक्त प्रावधान के अतिरिक्त होंगे।

योग्य महिला अभ्यर्थियों की अनुपलब्धता की स्थिति में उसी भर्ती वर्ष में संगत कोटि (आरक्षित / गैर आरक्षित) के पुरूष उम्मीदवारों से पदों को भरा जा सकेगा।

उल्लेखनीय है कि यह आरक्षण, क्षैतिज आरक्षण होगा।

विवेचित 35 प्रतिशत महिलाओं के चयन के संबंध में प्रक्रिया एवं रोस्टर बिन्दु का निर्धारण अलग से किया जायेगा। आदेश:—आदेश दिया जाता है कि सर्वसाधारण की जानकारी के लिए इसे राजकीय गजट के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय और इसकी प्रति महालेखाकार, बिहार, पटना/लोक सेवा आयोग, बिहार, पटना/कर्मचारी चयन आयोग, बिहार, पटना/बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद, पटना/केन्द्रीय चयन पर्षद (सिपाही भर्ती)/पिछड़े वर्गों के लिए राज्य आयोग, बिहार, पटना/अति पिछड़े वर्गों के लिए राज्य आयोग, बिहार, पटना/अति पिछड़े वर्गों के लिए राज्य आयोग, बिहार, पटना/राज्य महादलित आयोग, बिहार, पटना/राज्यपाल सचिवालय, बिहार, पटना/बिहार विधान सभा सचिवालय, पटना/बिहार विधान परिषद् सचिवालय, पटना/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त एवं सभी जिला पदाधिकारी को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई के लिए भेजी जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से के (राजेन्द्र राम)

सरकार के अपर सचिव।

सरकार के अपर सचिव।

आई०टी० मैनेजर, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ प्रेषित।

प्रत्येक विभाग / विभागाध्यक्ष से अनुरोध है कि उनके अधीन सभी कार्यालयों / स्थानीय निकायों / निगमों / लोक सेवा उपक्रमों / पर्षदों को अविलम्ब सूचित करा दें।

सरकार के अपर सचिव।



बिहार गजट

अंसाधारण अंक बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

30 पौष 1937 (श0)

(सं0 पटना 60) पटना, बुधवार, 20 जनवरी 2016

सं0 11/310नी0-I-11/2015 सा0प्र0-963

सामान्य प्रशासन विभाग

संकल्प

20 जनवरी 2016

विषय:-बिहार राज्य की सभी सरकारी सेवाओं / संवर्गों के सभी स्तर के एवं सभी प्रकार के पदों पर सीघी नियुक्तियों में आरक्षित एवं गैर आरक्षित कोटि में महिलाओं के लिए 35 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण उपलब्ध कराने के संबंध में।

राज्य में महिला सशक्तिकरण एवं समाज में महिलाओं की सक्रिय एवं सकारात्मक भूमिका सुनिश्चित करने के उद्देश्य से सरकार के समक्ष बिहार राज्य की सभी सरकारी सेवाओं / संवर्गों के सभी स्तर के एवं सभी प्रकार के पदों पर सीधी नियुक्तियों में आरक्षित एवं गैर आरक्षित कोटि में महिलाओं के लिए 35 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण उपलब्ध कराने का मामला विचाराधीन था।

वर्त्तमान में बिहार पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिए) अधिनियम, 1991 (अधिनियम–3, 1992) (समय–समय पर यथा संशोधित), के प्रावधानों के अनुसार राज्याधीन सेवाओं में नियुक्ति की कार्रवाई की जाती है। इस आरक्षण अधिनियम के प्रावधानों को अक्षणण रखा जायेगा।

उक्त अधिनियम के प्रावधानानुसार राज्याधीन सेवाओं में 3 प्रतिशत पद पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। अतः इस 3 प्रतिशत आरक्षण को अक्षुण्ण रखते हुए आरक्षित एवं गैर—आरक्षित वर्गों के शेष 97 प्रतिशत पदों के विरुद्ध 35 प्रतिशत पदों को महिलाओं के लिए निम्न प्रकार से आरक्षित किये जाने का प्रस्ताव है:-

क्रo	वर्त्तमान प्रावधान				
~~	4(1)(1)	4417	35 प्रतिशत पद महिलाउ	अभ्युक्ति	
			आरक्षित करने पर प्र		
	आरक्षण कोटि	आरक्षण का	कोटिवार महिलाओं का	अनुमान्य	
		प्रतिशत	प्रतिशत	प्रतिशत	
1	अनु० जाति	16%	16% का 35% = 5.60%	5.60%	
2	अनु0 जन जाति	1%	1% का 35% = 0.35%	0.35%	
3	अत्यंत पिछड़ा वर्ग	18%	18% 町 35%=6.30%	6.30%	
4	पिछड़ा वर्ग	12%	12% का 35% =4.20%	4.20%	
5.	सामान्य (गैर–आरक्षित)	50%	50% का 35%=17.50%	17.50%	3 प्रतिशत पद, जो पूर्व से पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए आरक्षित हैं. उपर्युक्त प्रावधान के अतिरिक्त होंगे।

योग्य महिला अभ्यर्थियों की अनुपलब्धता की स्थिति में उसी भर्ती वर्ष में संगत कोटि (आरक्षित / गैर आरक्षित) के पुरुष उम्मीदवारों से पदों को भरा जा सकेगा।

उल्लेखनीय है कि यह आरक्षण, क्षैतिज आरक्षण होगा।

विवेचित 35 प्रतिशत महिलाओं के चयन के संबंध में प्रक्रिया एवं रोस्टर बिन्दु का निर्धारण अलग से किया जायेगा।

आदेश:—आदेश दिया जाता है कि सर्वसाधारण की जानकारी के लिए इसे राजकीय गजट के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय और इसकी प्रति महालेखाकार बिहार, पटना/लोक सेवा आयोग, बिहार, पटना/कर्मचारी चयन आयोग, बिहार, पटना/बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद पटना/केन्द्रीय चयन पर्षद (सिपाही भर्ती)/पिछड़े वर्गों के लिए राज्य आयोग, बिहार, पटना/अति पिछड़े वर्गों के लिए राज्य आयोग, बिहार, पटना/अति पिछड़े वर्गों के लिए राज्य आयोग, बिहार, पटना/राज्य महादलित आयोग, बिहार, पटना/राज्यपाल सचिवालय, बिहार, पटना/बिहार विधान सभा सचिवालय, पटना/बिहार विधान परिषद सचिवालय, पटना/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त एवं सभी जिला पदाधिकारी को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई के लिए भेजी जाय।

बिहार—राज्यपाल के आदेश से, राजेन्द्र राम, सरकार के अपर सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित। बिहार गजट (असाधारण) 60-571+200-डी0टी0पी0। Website: http://egazette.bih.nic.in

बिहार सरकार सामान्य प्रशासन विभाग

-: अधिसूचना:-

पटना-15, दिनांक-<u>9</u>6-9-19

सं0—11/आ0नी0—I—03/2019 25 22 "बिहार पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों तथा शैक्षणिक संस्थानों में नामांकन में (आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए) आरक्षण अधिनियम, 2019" की धारा 10 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण उपलब्ध करने एवं उक्त अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने हेतू निम्नलिखित नियमावली बनाती है :--

- 1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारंभ। (1) यह नियमावली "बिहार पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों तथा शैक्षणिक संस्थानों में नामांकन में (आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए) आरक्षण नियमावली 2019" कही जा सकेगी।
 - (2) यह सम्पूर्ण बिहार राज्य में लागू होगा।
 - (3) यह तुरंत के प्रभाव से प्रवृत्त होगी।
- 2. परिभाषाएँ। इस अधिनियम में जबतक संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो –
- (क) "नियुक्ति प्राधिकारी / सक्षम पदाधिकारी" से अभिप्रेत है किसी स्थापना में सेवाओं और पदों के संबंध में नियुक्ति करने हेतु सशक्त प्राधिकारी / कोई व्यक्ति जो शैक्षणिक संस्थानों में नामांकन हेतु उत्तरदायी हो;
- (ख) ''विहित'' से अभिप्रेत है, अधिनियम के अधीन बनायी गई नियमावली द्वारा विहित और राजपत्र में प्रकाशित;
- (ग) ''स्थापना'' से अभिप्रेत है, राज्य के कार्यकलाप से जुड़े लोक सेवाओं और पदों पर नियुक्तियों से संबंधित राज्य का कोई कार्यालय या विभाग और इसमें निम्नलिखित सम्मिलित हैं :-
- (1) तत्समय प्रवृत्त किसी राज्य अधिनियम के अधीन गठित कोई स्थानीय या वैधानिक प्राधिकार:
- (2) बिहार सहकारी समिति अधिनियम, 1935 (बिहार अधिनियम—6, 1935) के अधीन निबंधित कोई सहकारी संस्थान जिसमें राज्य सरकार द्वारा शेयर धारित किया गया हो अथवा जो राज्य सरकार से ऋण, अनुदान तथा साहायि्यकी आदि के रूप में सहायता प्राप्त करता हो; और
- (3) विश्वविद्यालय तथा इनसे संबद्ध कॉलेज, प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च विद्यालय तथा ऐसे अन्य शैक्षणिक संस्थान, जिन्हें राज्य सरकार ने स्वाधिकृत कर लिया हो या सहायता प्रदान करती हो, और
 - (4) सार्वजनिक क्षेत्र का कोई प्रतिष्ठान;
- (घ) ''सार्वजनिक क्षेत्र की स्थापना'' से अभिप्रेत है कोई उद्योग, वाणिज्य व्यापार या पेशा जो निम्न द्वारा स्वाधिकृत / नियंत्रित या प्रबंधित हो :--
 - (1) राज्य सरकार या राज्य सरकार का कोई विभाग,



- (2) कम्पनी अधिनियम, 1956 (अधिनियम—1, 1956) की धारा 617, में यथा परिभाषित सरकारी कम्पनी अथवा केन्द्र या राज्य अधिनियम द्वारा या उसके अधीन स्थापित निगम, जिसमें राज्य सरकार द्वारा समादत शेयर पूंजी के इक्यावन प्रतिशत से अन्यून शेयर पूंजी लगायी गई हो;
- (ङ) ''आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग'' से अभिप्रेत है, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, भारत सरकार के ऑफिस मेमोरेन्डम—F. No. 36039/1/2019-Estt. (Res.) दिनांक—19.01.2019 में यथा परिभाषित आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का कोई व्यक्ति; तथा जो भविष्य में समय—समय पर यथा संशोधित किया जाय;
 - (च) "भर्त्ती वर्ष" से अभिप्रेत है पंचाग वर्ष जिसमें वस्तुतः भर्त्ती / नामांकन की जानी हो;
- (छ) ''आरक्षण'' से अभिप्रेत है बिहार राज्य में पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में तथा शैक्षणिक संस्थानों में नामांकन में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण;
- (ज) "गुणागुण सूची" से अभिप्रेत है इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार तथा नियुक्ति करने के लिए या शैक्षणिक संस्थानों में नामांकन के लिए लागू आदेशों के अनुसार गुणागुण क्रम से तैयार की गई व्यवस्थित उम्मीदवारों की सूची;
- (झ) "राज्य" में सम्मिलित हैं बिहार राज्य की सरकार, विधानमंडल और न्यायपालिका एवं राज्य के भीतर अथवा राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन सभी स्थानीय या अन्य प्राधिकार एवं सभी प्रकार के शिक्षण संस्थान;
- (ञ) "परिवार" में सम्मिलित है अभ्यर्थी जो आरक्षण का लाभ लेना चाहता हो, अभ्यर्थी के माता—पिता एवं 18 वर्ष से कम आयु के भाई—बहन तथा पति / पत्नी एवं 18 वर्ष से कम आयु की संतानें;
 - (ट) "परिशिष्ट" से अभिप्रेत हैं इस नियमावली के साथ संलग्न परिशिष्ट;
- 3. आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए सीधी भर्ती एवं शैक्षणिक संस्थानों में नामांकन में आरक्षण के लाभ प्राप्त करने हेतु मानदंड (1) ऐसे अभ्यर्थी जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अत्यन्त पिछड़े वर्ग एवं पिछड़े वर्ग के लिए किये गए आरक्षण प्रावधानों से आच्छादित नहीं हैं, की पहचान, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के रूप में आरक्षण के लाभ के लिए की जायेगी, जिनके परिवार की सभी श्रोतों से कुल वार्षिक आय 8 (आठ) लाख रूपये से कम हो। वार्षिक आय आवेदन करने के पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के वेतन, कृषि, व्यापार एवं पेशा आदि से होने वाली समस्त श्रोतों से प्राप्त आयों को सम्मिलित किया जाएगा।
- (2) ऐसे अभ्यर्थी को, जिनके परिवार के पास निम्नलिखित में से किसी एक प्रकार की परिसम्पत्ति होंगी, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अधीन आरक्षण का लाभ प्राप्त नहीं होगा, उसके परिवार की वार्षिक आय चाहे जो भी हो :-
 - (i) 5 (पाँच) एकड़ कृषि योग्य भूमि अथवा इससे ऊपर;
 - (ii) एक हजार वर्ग फीट अथवा इससे अधिक क्षेत्रफल का आवासीय फ्लैट;
- (iii) अधिसूचित नगरपालिका के अधीन 100 वर्ग गज अथवा इससे अधिक का आवासीय भूखण्ड;
- (iv) अधिसूचित नगरपालिका से इतर क्षेत्रों में 200 वर्ग गज अथवा इससे अधिक का आवासीय भूखण्ड।

- (3) किसी "परिवार" द्वारा धारित की गई एक अथवा एक से अधिक स्थानों / शहरों में अवस्थित समस्त परिसंपत्तियों को आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के आरक्षण को अवधारण करने हेतु एक साथ जोड़ा जायेगा।
- (4) इस प्रयोजनार्थ पद "परिवार" में वह व्यक्ति सम्मिलित हैं जो आरक्षण का लाभ चाहता है, उसके माता-पिता तथा 18 वर्ष से कम आयु के भाई/बहन और उसके पति/पत्नी एवं 18 वर्ष से कम आयु की संतान;
- 4. प्रमाण पत्र निर्गत करने की प्रक्रिया।— नियम—3(2) की शतों के अधीन अर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के एवं विहित परिसम्पतियां धारित नहीं करने का प्रमाण—पत्र संबंधित जिलाधिकारी/अनुमंडलाधिकारी/अंचलाधिकारी द्वारा संलग्न अनुसूची—I (प्रपत्र—I) में निर्गत किया जायेगा। संबंधित पदाधिकारी द्वारा ऐसा प्रमाण—पत्र निर्गत करने से पूर्व प्रत्येक अभ्यर्थी से एक शपथ—पत्र प्राप्त किया जायेगा, जिसमें अभ्यर्थी के द्वारा यह घोषणा की जायेगी कि उसके परिवार के पास संबंधित अंचल के सिवाय अथवा इसके अतिरिक्त अन्यत्र कोई परिसम्पति नहीं है अथवा कई स्थानों पर स्थित परिसम्पतियों को जोड़ने के पश्चात् भी वे आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के दायरे में आते हैं। घोषणा प्रपत्र अनुसूची—II (प्रपत्र—II) के रूप में संलग्न है।
- 5. वैधता। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए आय एवं परिसम्पति संबंधी प्रमाण-पत्र निर्गत किये जाने की तिथि से एक वर्ष के लिए वैध माना जायेगा।
- 6. सत्यापन। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अधीन नियुक्तियां/नामांकन औपबंधिक एवं अभ्यर्थी द्वारा आय एवं परिसम्पति संबंधित प्रमाण—पत्र के सत्यापन के अध्यधीन होंगे। सत्यापन के क्रम में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए जाली/गलत प्रमाण—पत्र प्रस्तुत किया गया पाये जाने पर सेवा/नामांकन, बिना अग्रेतर कार्रवाई के, समाप्त कर दिया जायेगा तथा भारतीय दण्ड संहिता के संगत प्रावधानों के अधीन कानूनी कार्रवाई की जा सकेगी।
- 7. विनिमय। यदि किसी भर्ती वर्ष में या किसी सत्र के नामांकन में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के अधीन आरक्षित कोटि से भरे जाने वाले उम्मीदवार अधिनियम के अधीन विहित आरक्षण प्रतिशत तक उपलब्ध न हों तो बची हुई रिक्तियां/सीटें अग्रणित नहीं की जायेंगी। ऐसी रिक्तियाँ/सीटें उसी समव्यवहार/नामांकन वर्ष में खुली गुणागुण कोटि के उम्मीदवार से भर दी जायेंगी।
- 8. रोस्टर। आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के अधीन आरक्षण उपलब्ध करने से संबंधित अनुसूची—III में दिया गया 100 (सौ) बिन्दुओं का आदर्श मॉडल रोस्टर अपनाया जायेगा।
- 9. कित्नाईयों का निराकरण। यदि इस नियमावली के प्रावधानों को प्रभावी करने में यदि कोई कित्नाई उत्पन्न हो तो, राज्य सरकार, ऐसा कदम उठा सकेगी या ऐसा आदेश निर्गत कर सकेगी, जो इस निमयमावली के प्रावधानों से असंगत न हो, और जिसे वह कितनाई दूर करने के लिए आवश्यक समझे।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

सरकार के अपर सचिव

अनुसूची—I (प्रपत्र—I)

बिहार सरकार कार्यालय का नाम.....

आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के सदस्य द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आय एवं परिसम्पति प्रमाण-पत्र

प्रमाण–पत्र संख्या–	दिनांक
वित्तीय वर्ष	के लिए मान्य
प्रमाणित किया जाता है कि श्री	/श्रीमती / कुमारी
पुत्र/पुत्री/पति	गाँव / शहर
पोस्ट ऑफिसथाना	अनुमंडल
जिला राज्य f	पेन कोड के स्थायी निवासी हैं, जिनका
फोटोग्राफ नीचे अभिप्रमाणित है, आर्थिक	रूप से कुमजोर वर्ग के सदस्य हैं, क्योंकि वित्तीय
वर्ष में इनके परिवार की कुल व	वार्षिक आय ८ लाख (आठ लाख रुपये मात्र) से कम है।
इनके परिवार के स्वामित्व में निम्नलिखित में र	ने कोई भी परिसम्पति नहीं है :
I. 5 (पाँच) एकड़ कृषि योग्य भूमि	। अथवा इससे ऊपर।
II. एक हजार वर्ग फीट अथवा इर	ससे अधिक क्षेत्रफल का फ्लैट।
III. अधिसूचित नगरपालिका के अ	न्तर्गत 100 वर्ग गज अथवा इससे अधिक का आवासीय
भूखण्ड।	
IV. अधिसूचित नगरपालिका से इ	तर 200 वर्ग गज अथवा इससे अधिक का आवासीय
भूखण्ड।	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
 श्री/श्रीमती/कुमारी 	जाति
	जनजाति, पिछड़ा वर्ग तथा अत्यन्त पिछड़ा वर्ग के रूप
में अधिसूचित नहीं है।	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	हस्ताक्षर
	पदनाम
	(कार्यालय का मुहर सहित)
आवेदक का पासपोर्ट साईज का अभिप्रमाणित	, and the second
साइज का आमप्रमाणित फोटोग्राफ	

mar 26/2/19

अनुसूची—II

(प्रपत्र—II)

आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लामार्थ स्वय घोषणा पत्र

स्वंय घोषणा पत्र

मेंपुत्र	/ पुत्री / पति
गाँव / शहर पोस्ट	ऑफिसथाना
प्रखण्ड अनुमण्डल जिला	राज्य ने आर्थिक रूप
से कमजोर वर्ग के प्रमाण पत्र हेतु आवदेन दिया है, प	रतद् द्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि :
1. मैं जाति से संबंध	व रखता / रखती हूँ जो बिहार हेतु अधिसूचित
पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति एवं	
है।	
 मेरे परिवार की कुल स्त्रोतों (वेतन, कृि 	षे, व्यवसाय,पेशा इत्यादि) से कुल वार्षिक आय
रू(शब्दों में) है।	
	यल के सिवाय अथवा इसके अतिरिक्त अन्यत्र
कोई परिसम्पत्ति नहीं है।	
अ	थवा
कई स्थानों पर स्थित परिसम्पत्तियों को जं	ोड़ने के पश्चात भी मैं (नाम)
आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के दायरे में आता हूँ।	
 मै घोषणा करता / करती हूँ कि मेरे 	परिवार की सभी परिसंपत्तियों को जोड़ने के
पश्चात निम्नलिखित में से किसी भी सीमा से अधिक	नहीं है
i. 5 (पाँच) एकड कृषि योग्य भूमि अथवा इससे	उ पर।
ii. एक हजार वर्ग फीट अथवा इससे अधिक क्षेत्र	फल का आवासीय फ्लैट।
iii. अधिसूचित नगरपालिका के अंतर्गत 100 वर्ग	गज अथवा इससे अधिक का आवासीय भूखंड।
iv. अधिसूचित नगरपालिका से इतर 200 वर्ग गर	
.	उपरोक्त जानकारी मेरे ज्ञान और विश्वास के
अनुसार सत्य है और मैं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	के लिए आरक्षण सुविधा प्राप्त करने हेतु पात्रता
धारण करता / करती हूँ। यदि मेरे द्वारा दी गई जान	नकारी असत्य / गलत पायी जाती है तो मैं पूर्ण
रूप से जानता हूँ / जानती हूँ कि इस आवेदन प	त्र के आधार पर दिये गये प्रमाणपत्र के द्वारा
शैक्षणिक संस्थान में लिया गया प्रवेश/लोक सेवा	ओं में प्राप्त की गई नियुक्ति निरस्त कर दी
जायेगी / कर दिया जायेगा अथवा इस प्रमाणपत्र के	आधार पर कोई अन्य सुविधा / लाभ प्राप्त किया
गया है उससे भी वंचित किया जा सकेगा और इस	संबंध में विधि एवं नियमों के अधीन मेरे विरूद्ध
की जाने वाली कार्यवाही के लिए मैं उत्तरदायी रहूँगा	⁄ रहूँगी।
नोट:- जो लागू नही हो उसे काट दें।	
e e	

आवदेक/आवेदिका का हस्ताक्षर तथा नाम।

स्थान :-दिनांक :--

may 26/2/19

अनुसूची-!!!

आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण के आलोक में 100 बिन्दुओं का मॉडल रोस्टर :-

- 1. अनारक्षित
- 2. अत्यन्त पिछड़ा वर्ग
- अनारिक्षत (महिला)
- 4. अनुसूचित जाति
- 5. अनारक्षित
- 6. पिछडा वर्ग
- 7. आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग
- 8. अत्यन्त पिछड़ा वर्ग (महिला)
- 9. अनारक्षित (महिला)
- 10. अनुसूचित जाति (महिला)
- 11. अनारक्षित
- 12. पिछड़ा वर्ग (महिला)
- 13. अनारक्षित
- 14. अत्यन्त पिछड़ा वर्ग
- 15. अनारक्षित (महिला)
- 16. अनुसूचित जाति
- 17. आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग
- 18. पिछड़े वर्गों की महिला
- 19. अनुसूचित जनजाति
- 20. अत्यन्त पिछड़ा वर्ग
- 21. अनारक्षित (महिला)
- 22. पिछड़ा वर्ग
- 23. अनारक्षित
- अनुसूचित जाति (महिला)
- 25. अनारक्षित
- 26. अत्यन्त पिछड़ा वर्ग (महिला)
- 27. आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (महिला)
- 28. अनुसूचित जाति
- 29. अनारक्षित
- 30. पिछड़ा वर्ग
- 31. अनारक्षित
- 32. अत्यन्त पिछडा वर्ग
- 33. अनारक्षित (महिला)
- 34. अनुसूचित जाति
- 35. अनारक्षित
- 36. अत्यन्त पिछड़ा वर्ग
- 37. आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग
- 38. पिछड़ा वर्ग (महिला)
- 39. अनारक्षित (महिला)
- 40. अनुसूचित जाति (महिला)
- 41. अनारक्षित
- 42. अत्यन्त पिछड़ा वर्ग (महिला)
- 43. अनारक्षित
- 44. अनारक्षित
- **45.** अनारक्षित **(महिला)**
- 46. पिछड़ा वर्ग
- 47. आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग
- 48. अनुसूचित जाति
- 49. अनारक्षित (महिला)
- 50. अत्यन्त पिछड़ा वर्ग

- 51. अनारक्षित
- 52. पिछडे वर्गों की महिला
- 53. अनारक्षित
- 54. अत्यन्त पिछड़ा वर्ग
- 55. अनारक्षित (महिला)
- 56. अनुसूचित जाति
- 57. आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग
- 58. पिछडा वर्ग
- 59. अनारक्षित
- 60. अत्यन्त पिछड़ा वर्ग (महिला)
- 61. अनारक्षित (महिला)
- 62. अनुसूचित जाति (महिला)
- 63. अनारक्षित
- 64. पिछड़ा वर्ग (महिला)
- 65. अनारक्षित
- 66. अत्यन्त पिछड़ा वर्ग
- 67. आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (महिला)
- 68. अनुसूचित जाति
- 69. अनारक्षित
- 70. अत्यन्त पिछडा वर्ग
- 71. अनारक्षित
- 72. पिछड़ा वर्ग
- 73. अनारक्षित (महिला)
- 74. अनुसूचित जाति
- 75. अनारक्षित
- 76. अत्यन्त पिछड़ा वर्ग (महिला)
- 77. आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग
- 78. अनुसूचित जाति (महिला)
- 79. अनारक्षित (महिला)
- १८. जनाराकत (नाटर
- 80. पिछड़ा वर्ग
- 81. अनारक्षित
- 82. अत्यन्त पिछड़ा वर्ग
- 83. अनारक्षित
- 84. पिछड़े वर्गों की महिला
- 85. अनारक्षित (महिला)
- 86. अनुसूचित जाति
- 87. आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग
- 88. अत्यन्त पिछड़ा वर्ग
- 89. अनारक्षित
- **90.** पिछड़ा वर्ग **(महिला)**
- 91. अनारक्षित (महिला)
- 92. अनुसूचित जाति
- 93. अनारक्षित
- 94. अत्यन्त पिछड़ा वर्ग (महिला)
- 95. अनारक्षित
- 96. पिछड़ा वर्ग
- 97. आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (महिला)
- 98. अनुसूचित जाति (महिला)
- 99. अनारक्षित
- 100. अत्यन्त पिछड़ा वर्ग (महिला)

Word

-: अधिसूचनाः-

संचिका संख्या—11/आ0नी0—I—03/2019 सा0प्र0. $\frac{262^3}{693}$ दिनांक— $\frac{26-2-19}{693}$ अधिसूचना संख्या— $\frac{262^2}{693}$ दिनांक— $\frac{26-2-19}{693}$ का निम्नलिखित अंग्रेजी अनुवाद, बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका पाठ समझा जायेगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

सरकार के अपर सचिव।

Government of Bihar **General Administration Department**

-: Notification :-

Patna-15, Date 26-2-19

11/Aa.Ni.-I-03/2019 Sa.Pra.- 2692 In exercise of powers conferred by section 10 of The Bihar Reservation in vacancies in posts and services and in Admissions in the Educational Institutions (For Economically Weaker Sections) Act, 2019 the State Government makes the following rules for providing 10% reservation for Economically Weaker Sections and for implementation of the provisions of the said Act.-

- 1. Short title, extent and commencement. (1) These rules may be called "The Bihar Reservation in Vacancies of Posts and Services and in Admissions in the Educational Institutions (for Economically Weaker Sections) Rules, 2019".
 - (2) It shall extend to whole of the State of Bihar.
 - (3) It shall come into force with immediate effect.
 - 2. Definitions .- In these rules, unless the context otherwise requires -
- (a) "Appointing authority/competent authority" means in relation to services or posts in an establishment, an authority empowered to make appointment/a person who is responsible for admission in educational institutions.
- (b) "Prescribed" means prescribed by rules made under the Act and published in the Official Gazette;

- (c) "Establishment" means any office or departments of the state concerned with the appointment to the public service and post in connection with the affairs of the state and includes-
- (1) A local or statutory authorities constituted under any state Act for the time being in force, or
- (2) a cooperative institution registered under the Bihar Cooperative society Act, 1935 (Act 6,1935) in which share is held by the State Government or which receives aid from the State Government in terms of loan, grant, subsidy etc. and
- (3) Universities and colleges affiliated to the universities, primary, secondary and High Schools and also other educational institutions which are owned or aided by the State Government, and
 - (4) an establishment in public sector.
- (d) "Establishment in public sector" means any industry, trade, business or occupations owned, controlled or managed by –
- (1) The State Government or any department of the State Government.
- (2) A Government Company as defined in section 617 of the Company Act 1956 (Act, 1 of the 1956) or a corporation established by or under a Central or State Act, in which not less than 51% of the paid-up share capital is held by the State Government.
- (e) "Economically Weaker Sections" means a person belonging to Economically Weaker Section as defined in the office Memorandum F. No. 36039/1/2019-Estt. (Res.) dated 19.01.2019 of D.O.P.T., Ministry of Personnel and Public Grievances and Pension, Government of India and as may be amended in future from time to time accordingly.
- (f) "Recruitment year" means the calendar year during which a recruitment/admission is actually to be made.
- (g) "Reservation" means reservation for Economically Weaker Sections in vacancies of posts and services in the State of Bihar and in the admissions in educational institutions.
- (h) "Merit list" means the list of candidates arranged in order of merit prepared according to the provisions of this Act and orders as may be applicable for making appointments or for admission in educational institutions.
- (i) "State" includes the Government, the Legislature and Judiciary of the State of Bihar and all local or other authorities and all type of Educational Institutions within the State or under the control of the State Government.

Losie

- (j) "Family" for this purpose will include the person who seeks benefit of reservation, his/her parents and siblings below the age of 18 years as also his/her spouse and children below the age of 18 years.
 - (k) "Schedule" means the scheduled attached with this rule.
- 3. Parameters of Economically Weaker Sections for the purpose of direct recruitment and in the admission in educational institutions. -
- (1) Persons who are not covered under the scheme of reservation for SCs, STs, EBCs and BCs and whose family has Gross Annual Income below Rs. 8.00 lakh(Rupees eight lakh only) are to be identified as EWSs for benefit of reservation. Income shall also include income from all sources i.e. salary, agriculture, business, profession, etc. for the financial year prior to the year of application.
- (2) Also persons whose family owns or possesses any of the following assets shall be excluded from being identified as EWS, irrespective of the family income.
 - (i) 5 acres of agricultural land and above;
 - (ii) Residential flat of 1000 sq. ft. and above;
- (iii) Residential plot of 100 sq. yards and above in notified municipalities;
- (iv) Residential plot of 200 sq. yards and above in areas other than the notified municipalities.

The property held by a "Family" in different locations or different places/cities would be clubbed while applying the land or property holding test to determine EWS status.

The term "Family" for this purpose will include the person who seeks benefit or reservation, his/her parents and siblings below the age of 18 years as also his/her spouse and children below the age of 18 years.

- 4. Certificate of Economically Weaker Sections and not possessing any of the assest mentioned in rule 3(2) will be issued by District Magistrate/Sub-Divisional Magistrate/Circle Officer concerned in the prescribed Scheduled-I (format-I). The concerned officer, prior to issuing the said certificate, will take an affidavit from the candidate in which a declaration by the candidates that, his family does not possess any other assests except in the concerned circle or even adding the assets located at different places, he falls under the Economically Weaker Sections. The declaration format is enclosed as Scheduled-II (format-II).
- **5.** Validity. Validity of income and assets certificate will be of one year from the date of issue.

- 6. Verification. The appointment/admission under Economically Weaker Sections quota will be provisional and subject to the income and assets certificate being verified. If the verification reveals that the certificate produced by the candidate is fake/false, the service/admission will be terminated without assigning any further reasons and without prejudice to further action as may be taken under the provisions of Indian Penal Code for the production of fake and false certificate.
- 7. Exchange. If in any recruitment year or admission for a session, candidates from Economically Weaker Sections are not available to the extent of the reservation percentage prescribed under this Rule to be filled up by the reserved category, rest of the vacancies/seats shall be filled up by the candidates of open merit category in the same transaction or recruitment year.
- 8. Roster. A hundred point model roster will be followed for providing reservation under Economically Weaker Sections as given in schedule-III.
- **9.** Removal of difficulties. If any difficulty arises in given effect to the provisions of this Rule, the State Government may take such steps or issue such orders not inconsistent with the provisions of this Act and as it may consider necessary for removing the difficulty.

By order of the Government of Bihar

Addl. Secretary to the Govt.

Schedule-I (Form-I)

Government	οf	
GOVERNMENT	vı.	

(Name & Address of the authority issuing the certificate)

INCOME & ASSES SECTIONS	T CERTIFICATE	TO BE PRODU	CED BY ECON	NOMICALLY	WEAKER
Certificate No.	·		C)ate:	
not recognized as a Scheduled Caste, Scheduled Tribe and Other Backward Classes (State list). Signature with seal of Office Name Designation	•				
This is to certif	y that Shri/Smt./Kı	umari	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	son/daught	ter/wife of
	perma	nent resident fo	····	Villa	age/Street
Po	st Office	District	in the S	tate	<u> </u>
Pin Code	whose pho	tograph is attested	below belongs to	Economical	ly Weaker
Sections, since the gro	ss annual income*	* of his/her "family"*	* is below Rs. 8 la	akh (Rupees	Eight Lakh
• •		,	·	•	•
iii. Residential ploiv. Residential plo2. Shri/Smt./Kum	of 100 sq. yards a of 200 sq. yards a ari	and above in notifies named above in areas other	ner than the notified	casto	
		Signa	ture with seal of Q	Office	
			Name		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Recent Passport size attested photograph of the applicant.			Design	ation	

^{***}Note 3: The property held by a "Family" in different locations or different places/cities have been clubbed while applying the land or property holding test to determine EWS status.



^{*}Note 1: Income covered all sources i.e. salary, agriculture, business, profession, etc.

^{**}Note 2: The term "Family" for this purpose include the person, who seeks benefit of reservation, his/her parents and siblings below the age of 18 years as also his/her spouse and children below the age of 18 years.

Schedule-II

(Format-II)

Self declaration form for getting benefit of E.W.Ss

Self declaration form

l	son/daughter/v	vife of	vill/town
Post Office	Police Station	Block	Sub-div.
			ertificate of E.W.Ss, hereby
declare that :-			
 I belong to _ & ST. 	caste. Whic	ch is not enlisted under	the state list of EBC, BC, SC
•	gross annual income s Rs.	•	lary, agriculture, business,
	as asset in circle not posses any other asse		Circle). Except this asset, my
•		or	
4. I hereby dec any of the fo i. 5 acres of ii. Residentia iii. Residentia iv. Residentia I certify that am eligible for getti	Illowing:- agricultural land and aboval flat of 1000 sq. ft. and abal plot of 100 sq. yards and all plot of 200 sq. yards and the information given burg reservation under E.V.	Il the assets of my famile; e; above; above in notifies municip above in areas other than y me is true to my best N.Ss. If any information	ily, it does not exceed from
of fake/false E.W.Ss action against me ad		celed and I would be he	eld responsible for any legal
			Signature of applicant
Place	_		
Date			

Moil

Schedule-III

100 Points Model Roster in the light of 10% Reservation for E.W.Ss:-

- 1. Unreserved
- 2. Extremely Backward Class
- 3. Unreserved (Female)
- 4. Scheduled Caste
- 5. Unreserved
- 6. Backward Class
- 7. Economically Weaker Sections
- 8. Extremely Backward Class (Female)
- 9. Unreserved (Female)
- 10. Scheduled Caste (Female)
- 11. Unreserved
- 12. Backward Class (Female)
- 13. Unreserved
- 14. Extremely Backward Class
- 15. Unreserved (Female)
- 16. Scheduled Caste
- 17. Economically Weaker Sections
- 18. Backward Class (Female)
- 19. Scheduled Tribe
- 20. Extremely Backward Class
- 21. Unreserved (Female)
- 22. Backward Class
- 23. Unreserved
- 24. Scheduled Caste (Female)
- 25. Unreserved
- 26. Extremely Backward Class (Female)
- 27. Economically Weaker Sections (Female)
- 28. Scheduled Caste
- 29. Unreserved
- 30. Backward Class
- 31. Unreserved
- 32. Extremely Backward Class
- 33. Unreserved (Female)
- 34. Scheduled Caste
- 35. Unreserved
- 36. Extremely Backward Class
- 37. Economically Weaker Sections
- 38. Backward Class (Female)
- 39. Unreserved (Female)
- 40. Scheduled Caste (Female)
- 41. Unreserved
- 42. Extremely Backward Class (Female)
- 43. Unreserved
- 44. Unreserved
- 45. Unreserved (Female)
- 46. Backward Class
- 47. Economically Weaker Sections
- 48. Scheduled Caste
- 49. Unreserved (Female)
- 50. Extremely Backward Class

- 51. Unreserved
- 52. Backward Class (Female)
- 53. Unreserved
- 54. Extremely Backward Class
- 55. Unreserved (Female)
- 56. Scheduled Caste
- 57. Economically Weaker Sections
- 58. Backward Class
- 59. Unreserved
- 60. Extremely Backward Class (Female)
- 61. Unreserved (Female)
- 62. Scheduled Caste (Female)
- 63. Unreserved
- 64. Backward Class (Female)
- 65. Unreserved
- 66. Extremely Backward Class
- 67. Economically Weaker Sections (Female)
- 68. Scheduled Caste
- 69. Unreserved
- 70. Extremely Backward Class
- 71. Unreserved
- 72. Backward Class
- 73. Unreserved (Female)
- 74. Scheduled Caste
- 75. Unreserved
- 76. Extremely Backward Class (Female)
- 77. Economically Weaker Sections
- 78. Scheduled Caste (Female)
- 79. Unreserved (Female)
- 80. Backward Class
- 81. Unreserved
- 82. Extremely Backward Class
- 83. Unreserved
- 84. Backward Class (Female)
- 85. Unreserved (Female)
- 86. Scheduled Caste
- 87. Economically Weaker Sections
- 88. Extremely Backward Class
- 89. Unreserved
- 90. Backward Class (Female)
- 91. Unreserved (Female)
- 92. Scheduled Caste
- 93. Unreserved
- 94. Extremely Backward Class (Female)
- 95. Unreserved
- 96. Backward Class
- 97. Economically Weaker Sections (Female)
- 98. Scheduled Caste (Female)
- 99. Unreserved
- 100. Extremely Backward Class (Female)



LALIT NARAYAN MITHILA UNIVERSITY



Kameshwaranagar, Darbhanga - 846004





Prof. Surendra Pratap Singh

Vice -	Chan	cellor

Dr. Mushtague Ahmad Registrar



Friday Thursday Wednesday Tuesday

Tuesday Saturday Thursday Monday Sunday-Wed. Monday Friday Wednesday Tuesday Wednesday

Friday

Sunday Saturday Friday Friday & Sat. Thursday Wednesday Thursday Wed. & Thursday Sunday

Thursday to Fri. Sunday Monday Friday Sunday Tuesday Saturday Thursday

Tue.-Saturday Tuesday at Thurs.-Thursday

Friday-Friday

Tue.-Wednesday

Friday Friday

SUN	MON	TUE	WED	THU	FRI	SAT
	200		7	1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31

SUN	MON	TUF	WED	THII	FRI	SAT
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31		D-E		F 69
		cer	TENER	rn.		

-	_	_	-	_	-	-	_	_
•	-	•		E١	va.	м		w
J	•	ю.	•	-	¥1	u		n

SUN	MON	TUE	WED	THU	FRI	SAT
			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	1 12	

OCTOBER

SUN	MON	TUE	WED	THU	FRI	SAT
31					1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30
		NO	VEME	ER		

SUN	MON	TUE	WED	THU	FRI	SAT
	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30		ME		

DECEMBER

SUN	MON	TUE	WED	THU	FRI	SAT
			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31	

		3/	ANUA	RY		
SUN	MON	TUE	WED	THU	FRI	SAT
31				CFT.	1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30
		rei	DOLLAR	***	-	

FEBRUARY

SUN	MON	TUE	WED	THU	FRI	SAT
	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	-	4		D) 34		

MARCH

1 8	2	3	4	5	6
8	9	40			_
1000	-	10	11	12	13
15	16	17	18	19	20
22	23	24	25	26	27
29	30	31	e veli		-
	22	22 23	15 16 17 22 23 24	15 16 17 18 22 23 24 25	15 16 17 18 19 22 23 24 25 26

APRIL

SUN	MON	TUE	WED	THU	FRI	SAT
				1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	
		1000				_

MAY

SUN	MON	TUE	WED	THU	FRI	SAT
30	31					1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29

JUNE						
SUN	MON	TUE	WED	THU	FRI	SAT
1		1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30			

UI Jan	New Year
14 Jan	Makar Sankranti
20 Jan	Guru Govind Singh B.day
26 Jan	Republic Day
16 Feb	Basant Panchami
27 Feb	St. Ravi Das Jayanti
11 Mar.	Mahashivratri
22 Mar.	Bihar Divas
28-31Mar	Holi
29 Mar.	Sab-E-Barat
02 Apr	Good Friday
14 Apr	Ambedkar Jayanti
20 Apr	Samrat Ashok Jayanti
21 Apr	Ramnavami
23 Apr	Veer Kunwar Singh Jayanti
25 Apr	Mahavir Jayanti
01 May	May Day/Labour Day
07 May	Last Friday of Ramjan
14-15May	Id-UI-Fiter (Id)
20 May	Janki Navmi
26 May	Buddh Purnima
24 June	Kahir lavanti

21-22July	ld-ul-Azha/Bakrid
15 Aug	Independence Day
	Moharrum
22 Aug	Raksha Bandhan
30 Aug	Sri Krishna Janmashtam
	Vishwakarma Puja
	Anant Chaturdashi
AUGUST COMPANY	

	Citterinia Cuminositui
17 Sep	Vishwakarma Puja
19 Sep	Anant Chaturdashi
28 Sep	Chehallum
02 Oct.	Mahatma Gandhi Jayan
07 Oct.	Durga Puja Kalashsthapa
12-16Oct	

Commission of the last	- urgur uju
19 Oct	H. Md.Saheb Birthday
	Diwali/C.Puja/Bhaiya Duj,Chh
	Guru Nanak Jayanti
03 Dec	Dr. Rajendra Pd. Jayant

24-31Dec Christmas Vacation 01-30Jun Summer Vacation (Only for Teachers)

 This Colour indicates Sunday and Holidays.
 This Colour indicates Holidays for Teachers only. Note:-The date of Holidays of Muslim Festivals may change according to visibility of the moon.

ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय 🦠

LALIT NARAYAN MITHILA UNIVERSITY



आत्मा वा अरे द्रष्टव्यः

अरे यह आतमा ही देखने (जानने) योग्य है, सूनने योग्य है, मनन करने योग्य है तथा निदिध्यासन (ध्यान) करने योग्य है॥

कुलगीत

मिथिला मुदित महामणि-मरमर मूर्त महल परित्राता। नारायणयुत ललित विश्वविद्यालय ज्ञान-प्रदाता।। रक्तकमल सम सुर्श्यितिलय तडाग-विभासित छाया। पान-मखान, लोक गरित, गीतित, गंधित काया।। 1।। दक्षिण गंग-तरंग, कौशिकी पूर्व, बंग बिस्तारा। कमला मध्य बागमति सोमित, पश्चिम गंडक-धारा।। आत्मज्ञान उत्थान, मीन-मन, उदित अंक अनुसारा।।2।। धर्मकर्मम् प्रजीवन ज्यातिर्मय विराट घुवतारा। मतु जानकी कामेश्वरन्य हित शुचि रूचिर प्रकारा।। जनकः भारती, याज्ञवल्यः, विद्यापित ज्योति प्रसारा। मीमासक नैयापिक-मू चन्दा, दिनकर सम प्यारा ।। ३।। मीमासक नैयापिक मू चन्दा, दिनकर सम प्यारा ।। ३।। विविध सम्, विष्पादि, सुरिक्षा वृत्ति जनित हा पीडा।। मिथिला, भारत-भूमि, मुमडल-विश्रुत नव उदमाता। कर्ष्यवाह घोषित सर्वापरि अभिनव मनुज-विधाता।। ४ ।।

Important Events Calendar 2021

	Important Events Calendar 2021				
Sl.	Date	Event	Organizing Department/Institute/Unit		
No.					
1	Jan-10	Vishwa Hindi Diwas	Department of Hindi		
2	Jan-12	National Youth Day	Department of Philosophy, NSS, NCC		
3	Jan-23	Netaji Subhash Chandra Bose Jayanti	Department of Commerce		
4	Jan-26	REPUBLIC DAY	All Departments and University Headquarter, NSS, NCC		
5	Feb-02	World Wetlands Day	Department of Zoology		
6	Feb-02	Lalit Jayanti	University Headquarter, NSS		
7	Feb-21	International Mother Language Day	Dept. of Sanskrit, Deptt. of Maithili, Deptt. of Urdu, Deptt. of		
			Hindi		
8	Feb-22	Sant Ravidas Jayanti	Department of Philosophy		
9	Feb-28	National Science Day	All P.G. Departments of Science		
10	Mar-08	International Women's Day	Department of Psychology & Home Science		
11	Mar-22	World Water Day	Department of Chemistry		
12	Apr-05	Babu Jagjivan Ram Jayanti	Department of Political Science		
13	Apr-09	Rahul Sanskritayan Jayanti	Deptt. of Hindi &Deptt. of Philosophy		
14	Apr-14	Dr.B.R. Ambedkar Jayanti	Department of Political Science		
15	Apr-20	Mahavir Jayanti	Department of History & Department of A.L.H. & C.		
16	Apr-22	Earth Day	Deptt. of Geography & Economics		
17	Apr-23	Veer Kunwar Singh Jayanti	Department of History		
18	May-07	Rabindra Jayanti	Department of English & Department of Music		
19	May-21	Budhha Jayanti	Department of A.I.H. & C.		
20	May-23	Kabir Jayanti	Deptt. of Hindi and Deptt. of Urdu		
21	Jun-05	World Environment Day	Deptt. of Geography		
22	Jun-21	International Yoga Day	University Health Centre		
23	Jun-29	International Tiger Day	Deptt. of Zoology		
24	Jun-30	Nagarjuna Jayanti	Deptt. of Hindi		
25	Aug-05	Foundation Day of L.N.M.U.	University Headquarter, NSS, Deptt. of Economics, Music &		
			History		
26	Aug-15	INDEPENDENCE DAY	All Univ. Departments and University Headquarter, NSS, NCC		
27	Sep-05	Teacher's Day	Centralized Function, C.C.D.C. Office		
28	Sep-14	Hindi Divas	Department of Hindi		
29	Sep-16	Ozone Day	Department of Chemistry		
30		Dinkar Jayanti	Department of Hindi		
31	Oct-02	Gandhi Jayanti	Gandhi Sadan, D.D.E., L.N.M.U., Darbhanga		
32	Oct-11	Jai Prakash Narayan Jayanti	Department of Political Science		
33	Oct-31	Sardar Patel Jayanti	Department of History and NSS		
34	Nov-11	Maulana Abul Kalam Azad Jayanti	Maulana Abul Kalam Azad Chair		
35	Nov-26	Constitution Day	Department of Political Science, NSS		
36		Kameshwar Jayanti	Department of Sociology, Kameshwar Chair		
37		Vidyapati Smriti Divas	Department of Maithili		
38	Dec-03	Rajendra Prasad Jayanti	Department of Sociology		
39	Dec-07	Flag Day	Department of Sociology		
40	Dec-10	Human Rights Day	Department of Sociology Department of Political Science, Psychology		
10	200-10	Turnan Rights Duy	Department of Folitical beforee, Fayerroley		

Note: 1. Departments will organize events such as Inter & Intra Institutional essay/speech/quiz/poster competition on these occasions.